न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 100/2019

वादीगण

1 वीराराम 2 रेखाराम 3 गेमराराम 4 खुमाणाराम 4 मीना पिसरान भीखाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान 6 अगरीदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी देवाराम जाति कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाडखा) तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादी

1 भीखाराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मेघाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री भोमाराम सियाग, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 07.08.15

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 रतनाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 207/93 रकबा 03.03 बीघा, खसरा संख्या 212/97 रकबा 04.11 बीघा कुल रकबा 07.14 बीघा भूमि तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 700/441 रकबा 05.09 बीघा व खसरा संख्या 705/445 रकबा 16.01 बीघा कुल रकबा 21.10 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता रतनाराम के नाम भूमि विभाजन के बाद दर्ज हुई, जिसमें से उक्त वादग्रस्त भूमि भीखाराम के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 भीखाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

प्रतिवादी भीखाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी भीखाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/7–1/7 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी भीखाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 207/93 रकबा 03.03 बीघा, खसरा संख्या 212/97 रकबा 04.11 बीघा कुल रकबा 07.14 बीघा भूमि तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 700/441 रकबा 05.09 बीघा व खसरा संख्या 705/445 रकबा 16.01 बीघा कुल रकबा 21.10 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी भीखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी भीखाराम प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 07.09.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 वीराराम 2 रेखाराम 3 गेमराराम 4 खुमाणाराम 4 मीना पिसरान भीखाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान 6 अगरीदेवी पुत्री भीखाराम पत्नी देवाराम जाति कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 भीखाराम पुत्र रतनाराम जाति कुम्हार निवासी भाडखा पुरोहितान तहसील व जिला बाडमेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 100 / 2019
निर्णय दिनांक :– ०५.०६.१९

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ०५.०६.१९ को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 207 / 93 रकबा 03.03 बीघा, खसरा संख्या 212 / 97 रकबा 04.11 बीघा कुल रकबा 07.14 बीघा भूमि तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 700 / 441 रकबा 05.09 बीघा व खसरा संख्या 705 / 445 रकबा 16.01 बीघा कुल रकबा 21.10 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी भीखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी भीखाराम प्रत्येक का 1 / 7–1 / 7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख ०५.०६.१९ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner